



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082025-265637
CG-DL-E-22082025-265637

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3754]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2025/श्रावण 31, 1947

No. 3754]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2025/SHRAVANA 31, 1947

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

का.आ. 3859(अ).— राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक श्री सतीश काशीनाथ मराठे को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के निदेशक मंडल में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 7/11/2018-एसी]

रत्नाकर ज्ञा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2025

S.O. 3859(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 6 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri Satish Kashinath Marathe, Director, Central Board of Reserve Bank of India (RBI) on the Board of Directors of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), for a period of three years, from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 7/11/2018-AC]

RATNAKAR JHA, Under Secy.